57 486

<u>सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्व / द्वारा फैक्स / ई–मेल</u>

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद – 1

संख्याःदस–334(वरिष्ठता)–2013 दिनांकःफरवरी 28, 2015

<u>शुद्धि पत्र–2</u>

आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) से मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 31.12.1977 तक के भर्ती आरक्षी स0पु0 की वर्षवार(बैच) सूची तैयार करने हेतु उ0प्र0 नॉमिनल रोल डाटा बेस प्रणाली पर उपलब्ध सूचना को डाउन लोड करके इनके सेवाभिलेखों के मिलान हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दस–334(वरिष्ठता)–2013 दिनांक 07.2.2014 एवं 06.3.2014 को समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन/परिक्षेत्र तथा अजनपदीय इकाईयों को ई–मेल/फैक्स के माध्यम से भेजकर दिनांक 08.3.2014 तक इनके सेवाभिलेखों से सत्यापन करके विद्यमान त्रुटियों के निवारण के पश्चात् उ0प्र0 नॉमिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में भी संशोधन करते हुए पुलिस मुख्यालय को सही सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

2. इसी क्रम में जनपदों से प्राप्त संशोधित एवं संकलित सूचनाओं के आधार पर दिनांक 31.12.1977 तक के भर्ती आरक्षी स0पु0, मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) के **2127**कर्मियों की त्रुटिरहित अनन्तिम सूची वर्षवार(बैच) तैयार करके पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दस–334(वरिष्ठता)2013 दिनांक 05.6.2014 द्वारा समस्त संबंधित के सूचनार्थ उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-Armed-police** पर प्रकाशित करते हुए 07 दिवस का समय प्रदान कर दिनांक 12.06.2014 तक सूची में अंकित कर्मियों को आपत्तियॉ अपने नियुक्ति स्थान के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से दिनांक 31.12.1977 तक के भर्ती उनके जनपद/इकाई में नियुक्त आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) के अभिलेखों का मिलान भेजी गई सूची से करने, छूटे हुए नाम को सम्मिलित करने एवं विद्यमान त्रुटियों को शुद्ध कराने का पुनः अवसर प्रदान किया गया। इसी के साथ समाचार पत्रों में दिनांक 05.6.2014 को समस्त सम्बन्धित के सूचनार्थ विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी।

3. इस सम्बन्ध में दिनांक 05.6.2014 को प्रकाशित अनन्तिम सूची को प्रचार–प्रसार हेतु समस्त जनपदों की पुलिस लाइन, इकाई कार्यालयों तथा अन्य सम्बन्धित स्थानों में सूचना पट पर दिनांक 06.6.2014 को चस्पा कराने एवं वायरलेस सेट के माध्यम से प्रतिदिन **02** बार समस्त पुलिस लाइन/कार्यालय/अन्य सम्बन्धित स्थानों को प्रसारित करने के निर्देश निर्गत किये गये। इसके साथ ही समस्त जनपद/इकाईयों को निर्देश दिये गये थे कि वे प्राप्त आपत्तियों का निवारण दिनांक 14.6.2014 तक करके सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कर्मी को अवगत करायेगें। इस प्रकार अनन्तिम सूची का विधिपूर्वक प्रचार–प्रसार करके आपत्तियों का निस्तारण कराया गया था।

4. समस्त आपत्तियों के निवारण के पश्चात जनपदों से यह भी प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया कि सभी आपत्तियों का निवारण कर दिया गया है तथा उनके अधीन नियुक्त किसी अर्ह आरक्षी स0पु0 का नाम छूटा नहीं है। इस प्रकार सभी सावधानियॉ अपनाये जाने एवं नियम सम्मत कार्यवाही पूर्ण कर पुनः जनपदों/इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सूची को संशोधित करते हुए वर्ष 1972 से दिनांक 31.12.1977 तक के भर्ती कुल **2039** आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) की अन्तिम सूची दिनांक 26.7.2014 को सर्व संबंधित के सूचनार्थ उ0प्र0पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-Armed-police** पर प्रकाशित की गयी।

5. पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दस–334(वरिष्ठता)2013 दिनांक 26.7.2014 को प्रकाशित आरक्षी स0पु0 की अन्तिम वरिष्ठता सूची एवं शुद्धि पत्र–1 दिनांक 09.10.2014 के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतमबुद्धनगर के पत्रांक प–57/2013 दिनांक 26.12.2014 द्वारा सूचना अत्यन्त विलम्ब से जो पुलिस मुख्यालय में दिनांक 31.12.2014 को प्राप्त होने के कारण सूचना के परीक्षण से पाया गया कि आरक्षी स0पु0

वीर सिंह की सूचना तथा विवरण जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा समय से उपलब्ध न कराने के कारण इस कर्मी को अन्तिम वरिष्ठता सूची मे सम्मिलित नहीं किया जा सका। यद्यपि जनपद गौतमबुद्धनगर की आख्या के अनुसार इस कर्मी द्वारा, प्रकाशित अन्तिम वरिष्ठता सूची के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्तमान में वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गौतमबुद्धनगर द्वारा विलम्ब से आख्या एवं विवरण भेजा गया है, तथापि मात्र इस कारण से इनका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित करने के संबंध में विचार न करना नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से उचित नही होगा।

6. अतः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गौतमबुद्धनगर से प्राप्त संदर्भ के निस्तारण हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं :-

(1) आरक्षी स0पु0, मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) के जनपद / इकाईयों की नामावली को पुलिस मुख्यालय स्तर पर उ0प्र0 पुलिस नामिनल रोल डाटाबेस प्रणाली में जनपदों एवं इकाईयों द्वारा उनके जनपद / इकाई में नियुक्त उक्त कर्मियों के बारे में पूर्ण की गयी सूचनाओं के आधार पर मिलान कर तैयार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गौतमबुद्धनगर से निर्धारित तिथि 14.6.2014 तक आरक्षी स0पु0 वीर सिंह के सम्बन्ध में कोई आख्या एवं आपत्ति पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे इस कर्मी का नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

(2) नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर से प्राप्त संदर्भ पर सम्यक विचार कर आरक्षी स0पु0 पीएनओ नं0-742331022 वीर सिंह के अधिकार को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत उनके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर से प्राप्त संदर्भ को केवल इस आधार पर निस्तारित न करना उचित नहीं पाया गया कि आरक्षी स0पु0 की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 26.7.2014 को प्रकाशित की जा चुकी है तथा इस कर्मी द्वारा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव न्यायहित में प्राप्त संदर्भ को निस्तारित किया जाना आवश्यक पाया गया। इससे किसी अन्य आरक्षी स0पु0 के अधिकार का हनन नहीं होता है तथा उसके भी अधिकार सुरक्षित हैं।

7. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरक्षी स0पु0 वीर सिंह, जनपद गौतमबुद्धनगर का नाम पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दस-334(वरिष्ठता)2013 दिनांक 26.7.2014 व शुद्धि पत्र-1 दिनांक 09.10.2014 द्वारा प्रकाशित आरक्षी स0पु0 की अन्तिम वरिष्ठता सूची में इनके नाम को जोड़े जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

8. इस प्रकार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक दस-334(वरिष्ठता)2013 दिनांक 26.7.2014 व शुद्धि पत्र-1 दिनांक 09.10.2014 के पश्चात प्रकाश में आये आरक्षी स0पु0 वीर सिंह, जनपद गौतमबुद्धनगर को वरिष्ठता सूची कमांक 245A अर्थात आरक्षी स0पु0 राजकुमार पीएनओ 742610387 के नीचे एवं आरक्षी स0पु0 शेर सिंह पीएनओ 742330986 के ऊपर निर्धारित कर सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है जो निम्नवत है :-

अंतिम वरिष्ठता सूची का कमांक	दि.26.7.2014 को प्रकाशित अन्तिम वरिष्ठता सूची का कमांक	पर्सनल नं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	जन्मतिथि	भर्ती तिथि	नियुक्ति जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
245	245	742610387	राजकुमार	श्याम बिहारी पाण्डेय	इलाहाबाद	06.03.1956	16.11.1974	फतेहपुर
245A	—	742331022	वीर सिंह	प्यारे सिंह	बुलन्दशहर	05.01.1957	16.11.1974	गौतमबुद्धनगर
246	246	742330986	शेर सिंह	मांगेराम	मेरठ	08.09.1954	20.11.1974	गौतमबुद्धनगर

9. अतः पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या दस–334(वरिष्ठता)2014 दिनांक 26.07.2014 द्वारा आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) की प्रकाशित अन्तिम वर्षवार(बैच) सूची एवं शुद्धि पत्र–1 दिनांक 09.10.2014 के पश्चात **2040**आरक्षी स0पु0 की अन्तिम वरिष्ठता सूची में आरक्षी स0पु0 वीर सिंह का नाम सम्मिलित करने व पूर्व प्रकाशित वरिष्ठता सूची को उपर्युक्त अभिलेखानुसार इस शुद्धि पत्र के माध्यम से प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाता है। इस शुद्धि–पत्र के जारी होने के पश्चात दिनांक 31.12.1977 तक के भर्ती आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0(वि0श्रे0) की वर्षवार(बैच) की अन्तिम वरिष्ठता सूची में अब कुल **2041**आरक्षी स0पु0 सम्मिलित हैं। उपरोक्तानुसार दिनांक 26.07.2014 द्वारा आरक्षी स0पु0 एवं मुख्य आरक्षी स0पु0 (वि0श्रे0) की प्रकाशित अन्तिम वर्षवार(बैच) सूची एवं शुद्धि पत्र–1 दिनांक 09.10.2014 के माध्यम से यथा संशोधित अन्तिम वरिष्ठता सूची को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। यह शुद्धि–पत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in/page.aspx?estt.-matters-of-Armed-police** पर सर्वसम्बन्धित के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक–स्थापना
उ0प्र0।

—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आरक्षी स0पु0 वीर सिंह पीएनओ नं0–742331022 को उपर्युक्त की गयी कार्यवाही से सूचित करने का कष्ट करे।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना,उ0प्र0,लखनऊ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।